PATEL KNR INFRASTRUCTURES LTD.

CIN: U45201MH2006PLC162856

Regd Office: PATEL ESTATE ROAD, JOGESHWARI (W), MUMBAI-400102. Email:cs.pkil@pateleng.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

Pursuant to proviso to sub-regulation 8 of Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is hereby publishing unaudited financial results of the Company for the Quarter ended June 30, 2026 in the form of a QR code, as follows:

The unaudited financial results for the Quarter ended June 30, 2026 are filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2026 is available on the Stock Exchange website namely, NSE Ltd. at https://nsearchives.nseindia.com/content/debt/WDM/PKIL_03082026172944_PKILOutcomeofBMUAFRJune2026.pdf and Company website at https://www.knrcl.com/images/pkil/fs-pkil/fs2026-27/PKIL_UAFR_June_2026.pdf

The said financial results were reviewed and approved and taken on record by the Board in their meeting held on August 3, 2026. The statutory auditors have carried out a limited review of the above results for the Quarter ended June 30, 2026.

Kavita Shirvaikar
Director & CEO
DIN: 07737376

Mumbai
August 3, 2026

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L74899DL1986PLC023202)
Registered Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase- I, New Delhi-110020
Tel.: +91 11 4733 4100 ; Fax: +91 11 2681 1676, Email: investorrelations@shardamotor.com
Website: www.shardamotor.com

NOTICE

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, Notice is hereby given that next Board Meeting of the Company is scheduled to be held on Monday, August 10, 2026 inter-alia:

(i) To consider and approve the unaudited financial results (Standalone and Consolidated) of the Company for the first (1 st) Quarter for the financial year 2026-27.

For Sharda Motor Industries Limited
Sd/-
Nitin Vishnoi
Executive Director & Company Secretary

Date: 03 August, 2026
Place: New Delhi

NAINITAL BANK

Branch : Bareilly, Add. 46, Civil Lines, Bareilly - 243001 (U.P.)

Date Extension of E-Auction

The Authorized Officer has published an E-Auction Notice in **Financial Express, English on 16.07.2026** for the sale of mortgage properties of **M/s Balaji Farms and Rice Processing Private Limited.** In which the date of Inspection of Property was 03.08.2026, EMD Deposit date was till 04.08.2026 & the E-Auction that was scheduled to be held on 05.08.2026. **The E-Auction is extended to 14.08.2026 by Authorized Officer due to unavoidable circumstances.** Now the date of Inspection of Property will be 12.08.2026, EMD Deposit date will be till 13.08.2026 & the E-Auction will be held on 14.08.2026. This is for general public information.

Authorized Officer

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ROSARB BAREILLY, 89C CIVIL LINES Ayub khan Chauraha, Bareilly
Mob. 8477009101 e-mail id – sarbly@bankofbaroda.com

Sale Notice For Sale Of Immovable Properties "APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 8 (6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of dues in below mentioned account/s. The details of Borrower/s/Mortgagor/Guarantor/s/Secured Asset/s/Dues/Reserve Price/e-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below -

Sr. No.	Name & Address of Borrower/s Guarantor(s) / Mortgagor(s)	Give short Description of the immovable property with known encumbrances, if any (Mortgaged by)	Total Dues	Date and Time of E-Auction	Reserve Price EMD & Bid Increase Amount (in Rs.)	Status of Possession (Constructive/ Physical)	Property Inspection Date & Time
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	1. **Borrower: M/s Karca Enterprises Proprietor**: Mr. Rajat Agarwal, 3A, Haziapur, Stadium Road, Bareilly, U.P. 243122. 2. **Mr. Rajat Agarwal** (Proprietor M/s Karca Enterprises, B-49, Rajendra Nagar, UP Bhoomi Vikas Evam Grahsthan (Commonly Known as Rajendra Nagar) Yogna - 2, Bareilly 243001. 3. **Mr. Krishna Kumar Agarwal** S/o Bhagwat Prasat (Guarantor), B-49, Rajendra Nagar, UP Bhoomi Vikas Evam Grahsthan (Commonly Known as Rajendra Nagar) Yogna - 2, Bareilly 243001. 4. **Mrs. Chitra Agrawal W/o Mr. Krishna Kumar Agarwal** (Guarantor), B-49, Rajendra Nagar, Near K K Hospital Bareilly 243001. 5. **Mrs. Boski Agarwal W/o** Mr. Rajat Kumar Agarwal (Guarantor), B-49, Rajendra Nagar, Near K K Hospital Bareilly 243001. 6. **M/s Bee Dee Ess Marketeer** (Proprietor Mrs. Boski Agarwal), 3A, Haziapur, Stadium Road, Bareilly, U.P. 243122. 7. **Mrs. Boski Agarwal W/o** Mr. Rajat Kumar Agarwal (Proprietor M/s Bee Dee Ess Marketeer), B-49, Rajendra Nagar, U.P. Bhoomi Vikas Evam Grahsthan (Commonly known as Rajendra Nagar) Yogna - 2, Tehsil & District Bareilly 243001. 8. **Mr. Krishna Kumar Agarwal** S/o Bhagwat Prasad Agarwal (Guarantor), B-49, Rajendra Nagar, Bareilly 243001. 9. **Mrs. Chitra Agrawal W/o Mr. Krishna Kumar Agarwal** (Guarantor), B-49, Rajendra Nagar, Near K K Hospital Bareilly 243001. 10. **Mr. Rajat Agarwal** S/o Mr. Krishna Kumar Agarwal (Guarantor), B-49, Chitra Sadan, Near K K Hospital, Rajendra Nagar, Bareilly 243001, Ph. 9997355999. **Sale Notice Date: 01.08.2026**	**Property No. 1.** Immovable Property (Land and Building) situated at Plot no. 6, Mohalla Brahmpura East, Tehsil and District Bareilly, Uttar Pradesh. Standing in name of Mrs. Chitra Agarwal w/o Mr. Krishna Kumar Agarwal admeasuring 96.46 sq. mtrs., **Boundaries are as under:- East-** Plot no 07, **West-** Plot no 5, **North-** Building of Shailesh Kumar Pankaj Kumar, **South-** Road 6 mtr. wide **Property No. 2.** Immovable Property (Land and Building) situated at Plot no. 7, Mohalla Brahmpura East, Tehsil and District Bareilly, Uttar Pradesh. Standing in name of Mrs. Chitra Agarwal w/o Mr. Krishna Kumar Agarwal admeasuring 96.46 sq. mtrs., **Boundaries are as under:- East-** Road 6 mtr. wide, **West-** Plot no 6, **North-** Building of Shailesh Kumar Pankaj Kumar, **South-** Road 6 mtr. wide.	**M/s Karca Enterprises Rs. 11,32,90,504.24** (Rupees Eleven Crores Thirty Two Lakh Ninety Thousand Five Hundred Four & Twenty Four Paisa only) as on 01.08.2026, plus Reversal of interest plus unapplied interest at contractual rates & other expenses thereon + any encumbrance (known or Unknown to the bank) less any credits received in the loan account after issuance of Demand Notice w.e.f. 11.04.2024. **M/s Bee Dee Ess Marketeer Rs. 4,19,01,123.16** (Rupees Four Crores Nineteen Lakh One Thousand One Hundred Twenty Three & Sixteen Paisa only) as on 01.08.2026, plus Reversal of interest plus unapplied interest at contractual rates & other expenses thereon + any encumbrance (known or Unknown to the bank) less any credits received in the loan account after issuance of Demand Notice w.e.f. 29.04.2024. **Total Dues Rs. 15,51,91,627.40** (Rupees Fifteen Crores Fifty One Lakh Ninety One Thousand Six Hundred Twenty Seven & Forty Paisa only) as on 01.08.2026 + Reversal of interest + unapplied interest @ contractual rates & other expenses thereon + any encumbrance (known or Unknown to the bank) less any credits received in the loan account after issuance of Demand Notice w.e.f. as mentioned above .	**25-08-2026 From 11:00 A.M. to 03:00 P.M.**	**Property No. 1 Reserve Price Rs. 95,40,000/- (Ninety Five Lakh Forty Thousand Only)** **EMD Price Rs. 9,54,000/- (Nine Lakh Fifty Four Thousand Only) (The EMD shall be paid on or before 24.08.2026)** **Bid Increase Price Rs. 50,000/- (Fifty Thousand Only)** **Property No. 2 Reserve Price Rs. 1,29,00,000/- (One Crore Twenty Nine Lakh Only)** **EMD Price Rs. 12,90,000/- (Twelve Lakh Ninety Thousand Only) (The EMD shall be paid on or before 24.08.2026)** **Bid Increase Price Rs. 50,000/- (Fifty Thousand Only)**	**Physical**	**21-08-2026 From – 11:00 am to 14:00 pm** **With prior appointment with Authorised Officer**
1. 2. 3. 4.	1. **M/s Balaji Enterprises**, Through its Proprietor **Mr. Sanjay Kumar Singh,** Tehsil Road Aonla, Bareilly 243301. **Borrower:** 2. **Mr. Sanjay Kumar Singh** S/o Omprakash Singh, Mohalla Kheda, Ward No. 9, Nikat Kali Gaon, Aonla 243301. **Guarantor:** 3. **Mrs. Kamlesh** W/o Om Prakash Singh, Address: Mohalla Kheda, Ward No. 9, Nikat Kali Gaon, Aonla, Distt. Bareilly 243301. 4. **Mr. Rajeev Bhardwaj** S/o Radhey Shyam Bhardwaj, Address 132, K.V. Bijli Ghar, Aonla, Distt. Bareilly 243301. **Sale Notice Date: 31.07.2026**	**Property No. 1: Sale Deed No. 6891,** Residential/ Commercial Property Regd. in the office of SRO Aonla at Bahi No. 1, Khand No. 1323 on Pages 339 to 362 at serial No. 6891 dated 09.11.2006 situated at Ram Nagar Road, Kasba and Tehsil Aonla Distt. Bareilly being a total area 159.00 sq.mtr. belonging to Mrs. Kamlesh W/o Mr. Om Prakash Singh, **Bounded: East:** Open Space of Seller, **West:** Plot of Udaypal, **North:** Ram Nagar Road, **South:** Plot of Seller. **Property No. 2: Sale Deed No. 2911,** Residential Open Plot/ Property Regd. in the office of SRO Aonla at Bahi No. 1, Khand No. 2634 on Pages 179 to 196 at serial No. 2911 dated 14.05.2012 situated at Mohalla Anupura Ward No. 13, Qasba and Tehsil Aonla Distt. Bareilly being a total area 104.00 sq.mtr. belonging to Mr. Sanjay Kumar Singh S/o Mr. Om Prakash Singh, **Bounded: East:** Majar, **West:** Plot of Rakshpal Singh, **North:** House of Hariom Singh, **South:** 15 Feet wide Rasta. **Property No. 3: Sale Deed No. 5472,** Residential Property Regd. in the office of SRO Aonla at Bahi No. 1, Khand No. 2732 on Pages 321 to 364 at serial No. 5472 dated 10.09.2012 situated at Mohalla Khera, Ward No. 9, Kasba and Tehsil Aonla Distt. Bareilly being a total area 84.30 sq.mtr. belonging to Mr. Sanjay Kumar Singh S/o Mr. Om Prakash Singh, **Bounded: East:** 8 Feet Rasta, **West:** Vacant Space (at present house of Hira Lal), **North:** House of Chail Bihari, **South:** House of Jamuna Prasad.	**Rs. 52,69,568.77** (Fifty two lakh, sixty nine thousand, five hundred sixty eight and seventy seven paise only) as on 31-07-2026 plus reversal of interest + unapplied interest at contractual rates plus other expenses.	**20-08-2026 From 11:00 A.M. to 03:00 P.M.**	**Property No. 1 Reserve Price Rs. 51,36,000/- (Fifty One Lakh Thirty Six Thousand Only)** **EMD Price Rs. 5,13,600/- (Five Lakh Thirteen Thousand Six Hundred Only) (The EMD shall be paid on or before 19.08.2026)** **Bid Increase Price Rs. 20,000/- (Twenty Thousand Only)** **Property No. 2 Reserve Price Rs. 7,07,000/- (Seven Lakh Seven Thousand Only)** **EMD Price Rs. 70,700/- (Seventeen Thousand Seven Hundred Only) (The EMD shall be paid on or before 19.08.2026)** **Bid Increase Price Rs. 10,000/- (Ten Thousand Only)** **Property No. 3 Reserve Price Rs. 26,45,000/- (Twenty Six Lakh Forty Five Thousand Only)** **EMD Price Rs. 2,64,500/- (Two Lakh Sixty Four Thousand Five Hundred Only) (The EMD shall be paid on or before 19.08.2026)** **Bid Increase Price Rs. 10,000/- (Ten Thousand Only)**	**Symbolic**	**14-08-2026 From – 11:00 am to 14:00 pm** **With prior appointment with Authorised Officer**

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the Link provided in Bank of Baroda secured website i.e. www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm and website: https://baanknet.com Also, prospective bidders may contact the Authorised officer, Mobile 8477009101.

Place: Bareilly **Authorized Officer, Bank of Baroda**

---

punjab national bank
...the name you can BANK upon !

Circle office : Ramganga Vihar, Near Sale Tax Office Kanth Road, Moradabad

POSSESSION NOTICE
[Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of the **PUNJAB NATIONAL BANK,** under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The borrower/gurantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **PUNJAB NATIONAL BANK.** for the amounts and interest thereon.

The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured asset, Details of properties where possession had been taken is as follows:

Sr. No.	Name of the Borrower/Guarantor/ Mortgagor Name	Description of the Properties (Movable/Immovable)	Outstanding Amount as per Demand Notice	Date of Demand Notice / Date of Possession
1	**Udayveer Singh S/o Shivraj Singh (Borrower/ Mortgagor)** **Branch:** KUMS, Majhola, Moradabad	All that Part & Parcel of Property situated at: Khasra no. 295, Revenue Vilage Mainather, Tehsil & Distt- Moradabad, (UP), Registered in Bahi No. 01, Zild No. 14995, Page No. 47 to 60, SI No. 4467, Dated-02.04.2024, Total Area- 38.80 sq. mtr. at S.R.O Sadar 2nd Moradabad standing in the name of Udayveer Singh S/o Shivraj Singh. **Bounded as: East:** Plot of Kaluwa. **West:** Rasta 16 fit Wide. **North:** Plot of Vendor Which is sold to Kaushal Deep. **South:** Plot Of Deepu.	**Rs.6,71,667.80/-** as on 30.04.2026 + int. & other charges	**14.05.2026** **01.08.2026**
2	**Jassu Singh S/o Chhote Singh (Borrower/ Mortgagor)** **Branch:** KUMS, Majhola, Moradabad	All that part & parcel of Property Situated At: Khasra No.2410/7 Moh. Pepatpura Revenue Village Lakri Fazalpur, Tehsil & Distt- Moradabad, (UP), Registered in Bahi no-1, Zild No-14492, Pages on- 01 to 22, Sr. No 13228, dated- 26.07.2018, Residential Plot Area 68.34Sqmtrs, Standing In the Name of Jassu Singh S/o Chhote Singh. **Bounded as: East:** Rasta 12 Wide **West:** Plot of Deegar Shaksh **North:** Plot of Neeraj **South:** Plot of Preeti Pal	**Rs.9,49,222.44/-** as on 30.04.2026 + int. & other charges	**14.05.2026** **01.08.2026**

Date - 04.08.2026 **Place - Moradabad** **Authorized Officer Punjab National Bank**

L&T Finance Limited
Registered Office: L&T Finance Limited, Brindavan Building
Plot No. 177, Kalina, CST Road, Near Mercedes Showroom
Santacruz (East), Mumbai 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
Branch office: Delhi

L&T Finance

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002 (Herein after referred to as The Act)

We have issued Demand Notice under Section 13(2) of the Act to you all (Borrower/s, Co-borrower/s & Guarantor/s) through Registered Post Acknowledge Due, as you have defaulted in payment of interest and principal installments of your loan account, and have failed and neglected to clear the said outstanding dues. As a result, the loan account has been classified as Non-Performing Asset (NPA) in the book of account in accordance with the directives relating to asset classification issued by the Reserve Bank of India. The Notice has been returned as "undelivered" and therefore we are now issuing this notice to you all under 13(2) of the Act and hereby calling upon to repay the amount mentioned in the notice appended below to the L&T Financial Limited. within the period of 60 Days from the date of this Paper Notification together with further interest and other charges from the date of Demand Notice till payment or realization. In case you are not discharging your liabilities under the terms of this notice, we shall be constrained to exercise all or any one of the rights conferred under Section 13(4) or Section 14 of the Act. "This is without prejudice to any rights available to us under the Act and /or any other law in force from time to time."

Loan Account Number	Borrower/s & Co-borrower/s Name	Demand Notice date / NPA date / Outstanding Amount		Description of the Immovable Property (Mortgaged)
		NPA Date	Outstanding Amount (₹) As On	
H15368140621040337, H15368140621040337G, H15368140621040337L, H15368250621052643, H16841110920123240	1. Ashish Bhatia 2. M/s. Bhatia Traders Through Its Propreitor Mr. Ashish Bhatia 3. Pooja Rai	Demand Notice Date: 29.05.2026 NPA Date: 04.05.2026	Rs. 1,04,35,307.16/- (Rupees One Crore Four Lakhs Thirty Five Thousand Three Hundred Seven and Sixteen Paisa Only) As On 29/05/2026	**Schedule – I** All That Piece And Parcel Of Society Built-up Free Hold Flat Bearing No. 90, On Third Floor, Having Its Plinth Area Measuring 79.50 Sq. Mtrs., Shown In The Layout Plan Of Naveentam Co-Operative Group Housing Society Ltd., Also Known As Naveentam Apartments, Plot No. 7, Sector - 9, Rohini, Delhi - 110085 Boundaries East By Other Flat West By Entry North By Open South By Open
H14986120621040227	1. M/s. Parth Construction Co Through Its Proprietor Mr. Vinod Sharma 2. Geeta Sharma 3. Vinod Sharma	Demand Notice Date: 27.05.2026 NPA Date: 04.05.2026	Rs. 6905093.42/- (Rupees Sixty Nine Lakh Five Thousand Ninety Three and Forty Two Paise Only) As On Date 25/05/2026	All That Piece And Parcel Of Property Being At Ground Floor", Without Roof Rights, Upto Ceiling Level, Area Measuring 68.75 Sq. Mtrs., Bearing Plot No.467, In Block No.c-6, Along-with Whole Of Structure Constructed Whatsoever Thereon, Fitted With All Fixtures And Fittings, With All Accessible Rights And Obligation To Common Staircase/services Like Sewer Line & Separate Water Line, Electricity Meter And Right To Access To Water Tank, Antenna, Installed On The Roof, Situated At In The Layout Plan Of "yamuna Vihar", Illaqa Shahdara, Delhi-110053, Along-with Proportionate, Indivisible, Undivided And Impartial Share Of The Plot, Which Is The Same And Bounded As Under:- Boundaries East By Plot No. 466 West By Plot No. 468 North By Main Road. South By Service Lane.
H17502071122112108	1. Bijender Grewal 2. Pooja 3. M/s. Tops Night Patrolling Private Limited	Demand Notice Date: 27.05.2026 NPA Date: 04.05.2026	Rs. 11395067.52 /- (Rupees One Crore Thirteen Lakh Ninety Five Thousand Sixty Seven and Fifty Two Paise Only.) As On Date 25/05/2026	All That Piece And Parcel Of Entire First Floor, Without Roof Rights Constructed On Freehold Built-up Property Bearing No. A-172 (Area Admeasuring 100 Sq. Yds. I.e 83.61 Square Meters), Lajpat Nagar-I, New Delhi.
DELHL18000328	Madhujani Developers (Through Its Proprietor Pardeep Malik) Pardeep Kumar Malik Shakuntla	Demand Notice Date: 22.05.2026 NPA Date: 08.05.2026	Rs. 5441654.17/- (Rupees Fifty Four Lakh Forty One Thousand Six Hundred Fifty Four and Paise Seventeen Only.) As On Date 14.05.2026	**Schedule – I** All That Piece And Parcel Of Immovable Property Bearing Residential Plot No. 72, In Block No. E-01, Sector, 16, Area Measuring 48 Sq. Mtrs., Situated In The Layout Plan Of The Rohini Residential Scheme, Rohini, Delhi Boundaries East By Plot No. 73 West By Plot No. 71 North By Road 9. Mtrs South By Service Lane 4,5 Mtrs
DELHL18001142	Harpreet Kaur Harjeet Singh Batra Hardeep Singh Surjit Kaur Tajinder Kakar Hitec Infrastructure (Through Its Partner's Hardeep Singh, Harjeet Singh Batra & Tajinder Kakar)	Demand Notice Date: 22.05.2026 NPA Date: 08.05.2026	Rs. 8988524.01/- (Rupees Eighty Nine Lakh Eighty Eight Thousand Five Hundred Twenty Four and Paise One Only.) As On Date 14.05.2026	Property Bearing No. Wz-363, Area Measuring 200 Sq.yds., Built On Plot Bearing No. D/145, Out Of Khasra No. 475, 480, Situated At Village Tihar, Abadi Known As Fateh Nagar, Mohallah Guru Nanak Pura, Block D, New Delhi Boundaries East By Plot No. D-146 West By Plot No. D 144 North By Road 25' Wide South By Gali 15' Feet Wide
H09895040118075058, H09895040118075058L	Sachin Kumar Singh	Demand Notice Date: 22.05.2026 NPA Date: 08.05.2026	Rs. 2143575.55/- (Rupees Twenty One Lakh Forty Three Thousand Five Hundred Seventy Five and Paise Fifty Five Only.) As On Date 14.05.2026	**Schedule – I** All That Piece And Parcel Of Immovable Property Being Flat Bearing No. Valencia - 1107 (2 Bhk + 2Toilet + 4 Balconies) Admeasuring To 995 Sq. Ft On The 11th Floor, At Oasis Grandstand, GH -01, TS -01B, Sector 22D, Yamuna Expressway, Gautam Budh Nagar (U.P)
H05149240423030641, H05149280523011348	Deepak Sethi Harmeen Sethi Denim Karkhana (Through Its Proprietor Deepak Sethi)	Demand Notice Date: 16.06.2026 NPA date: 01/11/2025	Rs. 4640416.78/- (Rupees Forty-Six Lakh Forty Thousand Four Hundred Sixteen and Paise Seventy-Eight Only.) As On Date 2026-06-05	**Schedule – I** Entire First Floor Without Terrace/roof Rights, Out Of Free Hold Built-up Property Bearing No. J-5/144, Land Area Measuring 160 Sq.yds., (133.78 Sq.mtrs), Situated In The Area Of Village Tatarpur, Delhi State, Delhi Colony Known As Rajouri Garden, New Delhi-110027

Date: 04.08.2026
Place: Delhi

Sd/-
Authorized Officer
For L&T FINANCE LIMITED

ई20 पेट्रोल पर जनता में बढ़ रहा आक्रोश, जवाबदेही और पारदर्शिता की जरूरत: कांग्रेस

नई दिल्ली, (भाषा)। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि देशभर में ई20 पेट्रोल की बिक्री को लेकर लोगों में नाराजग़ी बढ़ रही है और वे जवाबदेही तथा पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार के मंत्री लोगों को यह भरोसा दिलाने में नाकाम रहे हैं कि ई20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इसके समर्थन में कोई ठोस आंकड़े या रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं। ई20 पेट्रोल एक ऐसा ईंधन है जिसमें 20 प्रतिशत एथनॉल और 80 प्रतिशत सामान्य पेट्रोल मिला होता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 29 जुलाई को संसद में ई20 पेट्रोल के देशव्यापी क्रियान्वयन पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दिए गए जवाब से समाधान की बजाय और अधिक सवाल खड़े हुए हैं। उनके अनुसार, गडकरी का दावा है कि ई20 को वर्षों तक वैज्ञानिक परीक्षण के बाद लागू किया गया है और इससे वाहनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का कोई प्रमाण नहीं है। रमेश ने पर कहा, लेकिन पिछले कई महीनों से देशभर के उपभोक्ता और मैकेनिक कम माइलेज, इंजन के प्रदर्शन में गिरावट, वाहनों पर ई20 के दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर चिंता, इंजन की अनुकूलता, ठंडे मौसम में स्टार्ट होने में दिक्कत, 2023 से पहले बने वाहनों में तेजी से घिसावट, पुराने वाहनों में फ्यूल इंजेक्टर जाम होने, ईंधन पाइपों में जंग लगने तथा रबर के पुर्जों में दरार आने जैसी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ताओं के पास ई20 ईंधन के अलावा लगभग कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। रमेश ने दावा किया कि 2023 से पहले बने 44,000 से अधिक पेट्रोल वाहनों के मालिकों पर जून 2026 में किए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में लोगों ने ई20 लागू होने के बाद प्रतिकूल प्रभाव महसूस होने की बात कही। उन्होंने कहा, सितंबर 2025 में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जैव ईंधन के कारण वाहन या इंजन को नुकसान पहुंचने संबंधी शिकायतों को बकवास बताया था। पूर्व पर्यावरण मंत्री ने आरोप लगाया कि जुलाई, 2026 की ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) की रिपोर्ट के बावजूद मोदी सरकार ई20 से जुड़े दावों को लगातार खारिज कर रही है। उन्होंने कहा कि टिकाऊपन संबंधी परीक्षणों में यात्री वाहनों के इंजनों में खराबी और विफलता के मामले भी सामने आए।

युवाओं को जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा: राहुल

नई दिल्ली, (भाषा)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकारी भर्तियों में कथित अनियमितता और प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे का उल्लेख करते हुए सोमवार को दावा किया कि युवाओं को जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और प्रश्नपत्र लीक जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी का छात्रों की गूंज अभियान प्रयागराज में पहुंचेगा, जहां आठ अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा। उन्होंने कहा कि कोटा और देहरादून के बाद अब छात्रों की गूंज अभियान आठ अगस्त को प्रयागराज पहुंचेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रयागराज ऐसा शहर है जहां लाखों युवा वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आवेदन भरते हैं, शुल्क जमा करते हैं और नौकरियों का इंतजार करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं ने युवाओं का वर्तमान और लंबित भर्तियों ने उनका भविष्य प्रभावित किया है। गांधी ने दावा किया कि हाल में दिल्ली में अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया।

आगरा स्टेशन मास्टर पर हमला मामले में आरपीएफ कर्मियों को निलंबित किया गया : वैष्णव

नई दिल्ली, (भाषा)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को बताया कि आगरा के एक स्टेशन पर आरपीएफ कर्मियों द्वारा स्टेशन मास्टर पर कथित हमले के मामले में जांच के लिए अंतर-विभागीय समिति गठित की गई है।

समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने सवाल किया था कि इस साल जुलाई में आगरा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कर्मियों ने एक रेलवे कर्मचारी पर हमला किया था, उस संबंध में अब तक क्या कार्वाई की गई है। वैष्णव ने इस सवाल के लिखित जवाब में कहा, जुलाई 2026 में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर एक घटना हुई जिसमें आरपीएफ कर्मियों ने कथित तौर पर एक रेलवे कर्मचारी के साथ मारपीट की थी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आगरा कैंट के चार आरपीएफ कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया और अंतर-विभागीय संयुक्त जांच समिति गठित की गई है। सुमन ने यह भी पूछा था कि पिछले तीन साल में रेलवे सुरक्षा के लिए तैनात रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों के खिलाफ कितनी शिकायतें मिली हैं और इन शिकायतों के निपटारे के दौरान आरपीएफ कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इसके जवाब में रेल मंत्री ने कहा, आरपीएफ सहित रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें मिलना और उन पर कार्वाई एक सतत प्रक्रिया है। रेलवे कर्मचारियों, जिनमें आरपीएफ के कर्मी भी शामिल हैं, के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के कई तरीके उपलब्ध हैं, जैसे रेल मदद, सीपीग्राम्स ई-मेल और अन्य चैनल। उन्होंने कहा, ऐसी शिकायतें मिलने पर, तय नियमों के अनुसार जांच-पड़ताल की जाती है।

क्या तृणमूल के फ्रीज किए गए बैंक खातों से रोजाना के खर्च के लिए कुछ राशि दी जा सकती है : न्यायालय

नई दिल्ली, (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किया कि क्या तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट के फ्रीज किये गए बैंक खातों से कुछ रकम निकालकर अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी को दी जा सकती है, ताकि पार्टी के रोजर्मा के खर्च पूरे किए जा सकें।

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ को बताया कि वह इस मामले में निर्देश लेंगे। ईडी ने धन शोधन की जांच के सिलसिले में तीन बैंक खातों से पैसों के लेन-देन पर रोक लगा रखी है, जिनमें कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा हैं। यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है, जिसमें पैसों के संदिग्ध लेन-देन, गैर-कानूनी तरीके से पैसे जुटाने और पार्टी के कुछ खातों के जरि़ए संदिग्ध रकम की हेरा-फेरी करने के आरोप हैं। शीर्ष अदालत, तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के 20 जुलाई के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी गुट पर ईडी द्वारा पार्टी के तीन बैंक खातों से लेन-देन पर लगाई गई रोक के संबंध में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। सोमवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि खातों से लेन-देन के रोक की वजह से पार्टी अपने कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दे पा रही है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी की ओर से रकम की निकासी पर रोक लगाये गए तीन खातों के अलावा, पार्टी के नाम पर 36 और खाते हैं और उनमें 164 करोड़ रुपये जमा हैं। उच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा, उक्त आदेश में क्या कहा गया है - इसमें कहा गया है कि 36 अलग-अलग खाते हैं, जिनसे लेन-देन पर रोक नहीं लगाई गई है। यह बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। राजू ने इन दलीलों का विरोध किया और कहा कि जांच चल रही है और उन खातों से धन शोधन हुआ है। उन्होंने कहा कि धन शोधन रोधी कानून केवल वास्तविक धन शोधन से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि धन शोधन रोकने के लिए भी है। हम इसकी रोकथाम कर रहे हैं। राजू ने जब कहा कि यह लगातार होने वाला अपराध है, तो सिब्बल ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि जब बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई, तो वह (राजू) ऐसी दलील कैसे दे सकते हैं। पीठ को बताया गया कि उच्च न्यायालय ने पार्टी के दैनिक खर्चों के लिए तीन बैंक खातों के संचालन में सुविधा प्रदान करने के वास्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है।

मिजोरम में आठ करोड़ रुपये से अधिक कीमत के मादक पदार्थ बरामद

आइजोल, (भाषा)। मिजोरम पुलिस ने चम्फाई और आइजोल में तीन अलग-अलग अभियानों में आठ करोड़ रुपये से अधिक कीमत की हेरोइन और मेथामफेटामाइन टैबलेट जब्त की हैं। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, इन अभियानों के दौरान म्यांमा के एक नागरिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चम्फाई विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने मादक पदार्थ की सबसे बड़ी खेप उस समय बरामद की, जब एक अगस्त को चम्फाई से आइजोल जा रहे एक ट्रक को रोका गया।ायान के मुताबिक, वाहन की तलाशी में 9.79 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद हुआ।

संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक के दौरान शिवसेना नेता संजय राउत, अरविंद गणपत सावंत, एसपी सांसद रामजी लाल सुमन और टीएमसी सांसद सोगत राय शिरकत करते हुए। (एएनआई)

प्रदर्शनकारी छात्रों की मदद के लिए युवा कांग्रेस ने हेल्पलाइन शुरू की

नई दिल्ली, (भाषा)। भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि उसने छात्रों और युवाओं के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिसके जरिये विरोध-प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के कारण कथित तौर पर धमकियों और उत्पीड़न का सामना करने पर उन्हें कानूनी एवं संगठनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। युवा कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि 20 जुलाई को हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद से उसे छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों और युवाओं से कई शिकायतें मिली हैं। संगठन ने दावा किया कि इन शिकायतों में आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण धमकी मिलने, ऑनलाइन दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न का सामना करने और परिजन को डराए-धमकाए जाने के आरोप लगाए गए हैं।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बैंकाक में अपना विदेशी अध्ययन स्थापित करेगा

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में अपना विदेशी अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए सोमवार को सिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय से समझौता किया।

विश्वविद्यालय ने यहां जारी एक बयान में कहा कि थाइलैंड में भारतीय राजदूत पुनीत अग्रवाल की मौजूदगी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और बैंकाक स्थित सिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय (वांग था फ्रा कैम्पस) के बीच एक समझौता (एमओयू) हुआ। इस दौरान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेडी व सिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रो. तनसेत न्गॉहिरनपत समेत दोनों देशों के कई शिक्षाविद और अन्य लोग मौजूद थे। इस समझौते के तहत सिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय में स्थापित संस्कृत अध्ययन केंद्र को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विदेशी अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।बयान के अनुसार, यह नई पहल अब संस्कृत, भारतीय ज्ञान प्रणाली और विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करेगी। समझौते के तहत, दोनों विश्वविद्यालय संकाय और छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त शिक्षण और अनुसंधान, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम और संस्कृत, पाली, हिंदी तथा भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देंगे। बयान में कहा गया है कि इसके तहत रामायण अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, संस्कृत पुरालेख, योग, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष, ब्राह्मी लिपि और भारतीय दर्शन जैसे विषयों में संयुक्त अनुसंधान और प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जाएगा।इसमें कहा गया है कि संस्कृत, पाली और प्राकृत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, ई-संसाधनों के निर्माण और आधुनिक डिजिटल संस्कृत तंत्र के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्रीनिवास वरखेडी ने कहा कि यह समझौता महज दो विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी नहीं है, बल्कि भारत और थाइलैंड के ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को जोड़ने वाला एक मजबूत पुल है।

मानवीय गरिमा जीवन का अहम हिस्सा है : न्यायालय

नई दिल्ली, (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मानवीय गरिमा जीवन का एक अहम हिस्सा है और वाहन मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े कानूनों के तहत, ऐसे मामले जिनमें बच्चे स्थायी या लगभग पूरी तरह से दिव्यांग हो जाते हैं, वे एक अलग और खास श्रेणी में आते हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में मुआवजा तय करते समय अदालतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की न केवल शारीरिक क्षमता छिन गई है, बल्कि उसका पूरा भविष्य प्रभावित हुआ है। ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने की। पीठ ने एक बच्चे को मिलने वाले मुआवजे को 45.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 83.38 लाख रुपये कर दिया।

बांकीपुर का जनादेश भाजपा के खिलाफ : विपक्ष

नई दिल्ली, (भाषा)। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा तथा इसे राज्य सरकार एवं भाजपा के खिलाफ जनादेश करार दिया।

वहीं, बिहार की मुख्य विपक्ष पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने परिणाम की समीक्षा करने की बात की। राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। उन्होंने कहा, संभव है कि इस बार लोगों ने उन्हें चुनना चाहा हो। राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था और पार्टी नेतृत्व बैठकर समीक्षा करेगा कि कहां कमी रह गई और कहां चूक हुई। राजद हमेशा जनता के मुद्दे उठाता रहा है और आगे भी उनकी आवाज उठाता रहेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक्स पर प्रशांत किशोर को जीत की बधाई देते हुए इसे उनकी पहली और अर्जित जीत बताया। उन्होंने कहा, बिहार के युवाओं को बधाई, जिन्होंने बिहार की अत्यंत अहंकारी, अक्षम और दमनकारी भाजपा सरकार को करारा संदेश दिया है। भट्टाचार्य ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के सीट बरकरार रखने पर भी पार्टी को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पार्टी के संयुक्त महासचिव डेरेक ओब्रायन ने भी एक्स पर भाजपा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बिहार के एक विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद रिक्त हुई बांकीपुर सीट पर पार्टी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

खांडू के मामले में जवाबदेही को लेकर प्रधानमंत्री की फर्जी प्रतिबद्धता उजागर हुई: कांग्रेस

नई दिल्ली, (भाषा)। कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिजनों के खिलाफ आरोपों की सीबीआई जांच में राज्य सरकार द्वारा सहयोग नहीं किए जाने के आरोपों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया जाना गंभीर मामला है।

मुख्य विपक्षी दल ने यह आरोप भी लगाया कि पेमा खांडू का अब भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहना सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और ईमानदारी के प्रति प्रधानमंत्री की "फर्जी प्रतिबद्धता" को दर्शाता है। सीबीआई ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि मुख्यमंत्री के परिजनों के स्वामित्व वाली या उनसे संबंधित बताई जा रही कंपनियों को सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेकों के कथित पक्षपातपूर्ण आवंटन के आरोपों की प्रारंभिक जांच के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार अभिलेख उपलब्ध कराने में "सहयोग नहीं कर रही" है। सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "यह तो होना ही था। 6 अप्रैल, 2026 को उच्चतम न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के उन ठेकों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को दिए गए थे" उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "अरुणाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं। उनका अब भी पद पर बने रहना सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और ईमानदारी के प्रति प्रधानमंत्री की फर्जी प्रतिबद्धता को उजागर करता है" गौरतलब है कि छह अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को दो सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया था।

कावेरी जल संकट: कर्नाटक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंची तमिलनाडु सरकार

नई दिल्ली, (भाषा)। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख कर उससे अनुरोध किया कि वह कर्नाटक को उसके हिस्सा का कावेरी नदी का पानी तत्काल छोड़ने का निर्देश जारी करे।

तमिलनाडु सरकार के वकील बी. करुणाकरण ने शीर्ष अदालत में इस संबंध में याचिका दायर किए जाने की पुष्टि की। ाचिका में आरोप लगाया गया है कि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की ओर से तमिलनाडु के लिए आवंटित पानी की मात्रा और कर्नाटक द्वारा छोड़े गए पानी की मात्रा, दोनों ही बहुत कम है। सीडब्ल्यूआरसी की 28 जुलाई को हुई बैठक में कर्नाटक को 29 जुलाई से 15 दिन के लिए 3,500 क्यूसेक (घन फुट प्रति सेकंड) पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। बाद में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। हालांकि, राज्य सरकार के मुताबिक, 29 जुलाई से दो अगस्त के बीच बिलिगुंडलू में छोड़े गए पानी की मात्रा 158 से 550 क्यूसेक के बीच रही। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि तीन अगस्त तक कर्नाटक के कृष्णराज सागर (केआरएस), काबिनी, हारंगी और हेमावती जलाशयों में कुल 77.537 टीएमसी (अरब घन फुट) पानी था और कर्नाटक को तमिलनाडु के हिस्से का पानी छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। बयान के अनुसार, हाल में कर्नाटक के कृष्णराज सागर और काबिनी बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद बिलिगुंडलू (कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु) में छोड़े जाने वाला पानी 26.954 टीएमसी होना चाहिए। इसमें कहा गया है, इस लिहाज से 4.536 टीएमसी पानी आवंटित करने का कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का आदेश उपयुक्त मात्रा से बहुत कम है" बयान में दावा किया गया है कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को पानी का उसका वाजिब हिस्सा (26.954 टीएमसी) देने में "नाकाम" रही है।

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे क्लाइंट श्री नितिन कुमार गोयल, श्री चरणबीर सिंह पॉल से एक अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं। यह अपार्टमेंट वेलिंगटन एस्टेट, डीएलएफ सिटी फेज–5, गांव वजीराबाद, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा में अपार्टमेंट नं. डब्ल्यू1–बी 111, विंग–बी में 11वीं मंजिल पर स्थित पार्किंग स्पेस नंबर 1बीओ–24, ओपन/कवर्ड के साथ है। श्री चरणबीर सिंह पॉल को यह प्रॉपर्टी इस तरह मिली है 03.08.2024 को आए फैसले के आधार पर अपने पिता स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह की मृत्यु के बाद 1/3 हिस्सा 31.10.2022 की रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपनी मां श्रीमती सुरजीत पॉल की मृत्यु के बाद 1/3 हिस्सा और 16.03.2026 के ट्रांसफर डीड के आधार पर अपनी बहन श्रीमती गुनीत भाटिया से 1/3 हिस्सा। अब मेरे क्लाइंट इस प्रॉपर्टी को श्री चरणबीर सिंह पॉल (मौजूदा मालिक) से खरीद रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिश्तेदार या कोई अन्य का इस प्रॉपर्टी पर कोई दावा, अधिकार या हित है तो उन्हें 10 दिनों के भीतर दस्तावेजी सबूतों के साथ मुझे सूचित करना होगा। अगर इस नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलता है, तो मेरे क्लाइंट यह मान लेंगे कि इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बिना किसी विवाद या अधिभार के पूरी तरह साफ है।

करनैल सिंह, अधिवक्ता
के–8, बेसमेंट, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
CIN:L74899DL1986PLC023202
पंजीकृत कार्यालय: डी–188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020
फोन:+91 11 4733 4100, फैक्स: +911126811676
ई–मेल: investorrelations@shardamotor.com, वेबसाइट: www.shardamotor.com

सूचना

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की अगली बैठक सोमवार, 10 अगस्त, 2026 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ (1) वित्तीय वर्ष 2026–27 की पहली (1वीं) तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./–
दिनांक: 3 अगस्त, 2026 — नितिन विश्नोई
स्थान: नई दिल्ली — कार्यपालक निदेशक एवं कम्पनी सचिव

IN THE COURT OF SH. GAUTAM MANAN, DISTRICT JUDGE (COMM. COURT)-03 SOUTH-WEST DISTRICT, ROOM NO. 614, DWARKA COURTS, NEW DELHI.
PUBLICATION NOTICE
DEFENDANT
(ORDER 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
Suit No. : CS (COMM) NO. 154/2026
STATE BANK OF INDIA
VS.
MISHENCHU MESEN

To
Mr. Mishenchu Mesen S/o Mr. Jonah Mesen, R/o Sishunu Village, PO Tseminyu BPO K Station Distt. Kohima, Nagaland-797109
Work Address: Mr. Mishenchu Mesen S/o Mr. Jonah Mesen serving As Sepoy (Employee Id No: 2175443) Indian Army at 274, Transit Camp, Indian Army, Khanpur, South Delhi, Delhi-110062 .....Defendant
Whereas you are intentionally avoiding services of summons. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the day of **31.08.2026 at 10:00 A.M** i.e. the day fixed in the matter, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and seal of the court on this **21.07.2026.**
Seal — Sd/-
District Judge (Comm. Court)-03, South-West District, Dwarka Courts, New Delhi.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, लोनी, गाजियाबाद
अल्पकालीन ई–निविदा सूचना दिनांक 03.08.2026
निविदा संख्या एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण
15/EDCLoni 2026–27 – वि०वि०ख०–द्वि० लोनी के अन्तर्गत 11/0.4 केवी उपकेन्द्र का निर्माण, 11/0.4 उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि, 33 व 11 केवी वीसीबी एवं अन्य कार्य।
16/EDCLoni 2026–27 – वि०वि०ख०–प्र० लोनी के अन्तर्गत 11/0.4 उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि का कार्य।
17/EDCLoni 2026–27 – वि०वि०ख०–प्र० लोनी के अन्तर्गत 11/0.4 केवी उपकेन्द्र का निर्माण, 11 केवी लाइन निर्माण एवं बाउंड्रीवाल का कार्य।
ई–निविदा की अंतिम तिथि : 17 अगस्त 2026
विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। अग्रेतर समस्त सूचनाएं वेबसाईट पर ही प्रदर्शित की जायेगी।
पत्रांक: 1429 / वि.वि.मं.डल. / लोनी निविदा / विज्ञापन / दिनांक 03.08.2026

उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
अधीक्षण अभियन्ता वि०पा०मं०, ग्रेटर नोएडा
अल्प कालीन ई–निविदा सूचना — दिनांक : 03.08.2026
निविदा सं० एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण
1. 10/ETC/GN/2026–27, विद्युत पारेषण खण्ड, हापुड़ के अन्तर्गत 220 के०वी० हाइब्रिड उपकेन्द्र हापुड़ पर 33/11 के०वी० ट्रांसपोर्ट नगर हेतु 01 नग 33 के0 वी0ए0आई0एस0 बे के निर्माण के कार्य हेतु प्रपत्र शुल्कः– 590/– धरोहर राशि रू0 02 हजार।
ई–निविदा की अंतिम तिथि क्रम संख्या 01 हेतु 14.08.2026 12:00 बजे
विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट https://entender.up.nic.in पर उपलब्ध है। अग्रेतर समस्त सूचनाएं वेबसाईट पर ही प्रदर्शित की जाएंगी।
पत्रांक : 654 / वि.पा. मं. / ग्रै.ना. / दिनांक 03.08.2026

राजस्थान सरकार
कार्यालय पर्यटक स्वागत केन्द्र, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली
टेलि. 011–23389525, 23382823 फैक्स
E-mail:trenewdelhi@rajasthan.gov.in
RAJASTHAN The Incredible State of India !

क्रमांकः पस्वाके/निविदा/2883 — दिनांक: 30/07/2026

ई–निविदा सूचना

इस कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2026–27 की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु निविदाएं जारी की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	उपापन का विवरण	अनुमानित लागत	बोली धरोहर राशि	ई–निविदा शुल्क	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	बोली खोलने की दिनांक	यू बी एन नम्बर
1.	वित्तीय वर्ष 2026–27 में नई दिल्ली में विभाग द्वारा कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप किराये पर वाहन की व्यवस्था As and When Basis पर उपलब्ध कराये जाने बाबत अनुभवी फर्म एवं योग्य निविदादाताओं से वार्षिक दर संविदा	6.00 लाख	30,000/– रू.	500/– रू.	06.08.2026	06.08.2026	TOU2627 SSOB 00012
2.	विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में नई दिल्ली आवश्यकतानुसार आवास व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने बाबत अनुभवी दक्ष एवं योग्य निविदादाताओं से दरें आमंत्रित	6.00 लाख	30,000/– रू.	500/– रू.	06.08.2026	06.08.2026	TOU2627 SSOB 00013

निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं कार्य का विवरण वेबसाईट www.tourism.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in एवं से डाउनलोड कर सकते हैं।

हस्ता/–
(मनोज कुमार)
DIPR/C/13434/2026 — पर्यटक अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी

IN THE COURT OF SH. GAUTAM MANAN, DISTRICT JUDGE (COMM. COURT)-03 SOUTH-WEST DISTRICT, ROOM NO. 614, DWARKA COURTS, NEW DELHI.
PUBLICATION NOTICE
DEFENDANT
(ORDER 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
Suit No. : CS (COMM) NO. 153/2026
STATE BANK OF INDIA
VS.
RAJAT RAJ KESHRI

To
Rajat Raj Keshri R/o H. No. 201, 9-10, First Floor, Sukhram Park, D.K. Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059. Email: rajat@gmail.com .....Defendant
Whereas you are intentionally avoiding services of summons. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the day of **31.08.2026 at 10:00 A.M** i.e. the day fixed in the matter, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and seal of the court on this **21.07.2026.**
Seal — Sd/-
District Judge (Comm. Court)-03, South-West District, Dwarka Courts, New Delhi.

IN THE COURT OF SH. VIRENDER NEGI, LD. DJ-05, (CENTRAL) ROOM NO.-317, TIS HAZARI COURTS, DELHI
PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF RESPONDENT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
PC-53/2025
SUMIT YADAV
V/S
STATE & ORS.

To,
(1) **Priyanka Yadav** D/o Late Ram Dayal Yadav R/o House No. 15/8A, Property No. 15, Khayber Pass, Old Chandrawal, Civil Line, North Delhi, Delhi-110054.
(2) **Prachi Yadav** D/o Late Ram Dayal Yadav R/o House No. 15/8A, Property No. 15, Khayber Pass, Old Chandrawal, Civil Line, North Delhi, Delhi-110054.
WHEREAS you are intentionally evading service of summons. It is hereby notified that if you shall not appear on the **03/09/2026**, the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and seal of the court this, dated: **11/07/2026**
Seal — Sd/-
Additional District Judge -05, (Central) Tis Hazari Courts, Delhi

IN THE COURT OF SH. VIRENDER NEGI, LD. DJ-05, (CENTRAL), ROOM NO.-317, 3RD FLOOR, TIS HAZARI COURTS, DELHI.
PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF RESPONDENT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
RCA-48/2026
BHARAT BHUSHAN SURI
V/S
PRAMOD KUMAR & ORS.

To,
Sh. Pramod Kumar S/o Sh. Arjun Prasad Singh R/o A-1/4, Guru Nanak Gali, Sant Nagar, Delhi-110084.
WHEREAS you are intentionally evading service of summons. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the **08/09/2026** the day fixed for the final disposal, it will be heard & determined ex-parte.
Given under my hand and seal of the court this, dated: **22/07/2026**
Seal — Sd/-
District Judge-05, (Central) Tis Hazari Courts, Delhi.

IN THE COURT OF SH. NAVEEN GUPTA, DJ-09 (WEST DISTT.) ROOM NO. 504, EXTN. BLOCK, TIS HAZARI COURT, DELHI.
CIV DJ 1047/2025
D.O.H. 11.09.2026
SH. NAV RATAN ..... Plaintiff
Versus
SH. SUMIT ..... Defendant
PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFEDANT
(ORDER 5 RULE 20 CPC.)

To,
Sh. Sumit S/o Sh. Arun Kumar ....Defendant No. 1
Smt. Disha D/o Sh. Arun Kumar ....Defendant No. 2
Both R/o H. No. 875, First Floor, Pocket-2 Paschim Puri, New Delhi 110063
Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on **11.09.2026** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and seal of this Court on **15th day of JULY, 2026.**
Seal — Sd/-
District Judge-09, Extn., Building West District, Tis Hazari Courts, Delhi.